न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 662/2023

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र शिशपाल जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर ।
2. ओम प्रकाश पुत्र शिशपाल जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. शिशपाल पुत्र पतराम जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर।
2. जैता देवी पुत्री पतराम जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. गुडी देवी पुत्री पतराम जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. खिवणी देवी पुत्री पतराम जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. माना देवी पुत्री पतराम जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. गोमती देवी पुत्री पतराम जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. चुकी पुत्री पतराम जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. धापी पुत्री पतराम जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 15/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 312/286 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 5.1340 है0 भूमि व कानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 273/263 के खसरा नं. 1319 की कुल 6.4500 है0 भूमि वादीगण के मृतक दादा हरपत उर्फ पतराम पुत्र नरसाराम उर्फ नरसीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादीया संख्या 2 ता 8 जो कि वादीगण की बुआ व प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा वह अपने भाई व भाई के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 312/286 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 5.1340 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है तथा कानसर के खाता संख्या 273/263 के खसरा नं. 1319 की कुल 6.4500 है0 भूमि में वादीगण ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादीगण जिसकी रजिस्टर्ड रजिस्ट्री करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:39:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2072–75 रोही मौजा नीमला खाता संख्या 312 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत 2071–2074 रोही मौजा कानसर खाता संख्या 273 प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र हरपत प्रदर्श–3, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श–4, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श–5, हरपत पुत्र नरसिंह व पतराम पुत्र नरसाराम के नाम के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत नीमला द्वारा तस्दीक प्रमाण पत्र प्रदर्श–6 आदि प्रदशिर्त करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के दादा पतराम उर्फ हरपतराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:39:41 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वाद भूमि मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 312/286 कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 5.1340 है0

भूमि व कानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 273/263 के खसरा नं. 1319 की कुल 6.4500 है0 भूमि वादीगण के मृतक दादा हरपत उर्फ पतराम पुत्र नरसाराम उर्फ नरसीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी के दादा हरपत उर्फ पतराम पुत्र नरसाराम उर्फ नरसीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा हरपत उर्फ पतराम पुत्र नरसाराम उर्फ नरसीराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 273/263 के खसरा नं. 1319 की कुल 6.4500 है0 भूमि में वादीगण के मृतक दादा पतराम पुत्र नरसाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 312/286 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 5. 1340 है0 भूमि में वादीगण के मृतक दादा हरपतराम पुत्र नरसीराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:39:41 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 662/2023

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र शिशपाल जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर ।
2. ओम प्रकाश पुत्र शिशपाल जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. शिशपाल पुत्र पतराम जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर।
2. जैता देवी पुत्री पतराम जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. गुडी देवी पुत्री पतराम जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. खिवणी देवी पुत्री पतराम जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. माना देवी पुत्री पतराम जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. गोमती देवी पुत्री पतराम जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. चुकी पुत्री पतराम जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. धापी पुत्री पतराम जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 662 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 273/263 के खसरा नं. 1319 की कुल 6.4500 है0 भूमि में वादीगण के मृतक दादा पतराम पुत्र नरसाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 312/286 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 5.1340 है0 भूमि में वादीगण के मृतक दादा हरपतराम पुत्र नरसीराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:39:41 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर